FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Gurugram **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0018 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 01/06/2025 15:17 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	ENVIRONMENT PROTECTION ACT 1986	15(1)
2	MINES AND MINERALS (DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT, 1957	21
3	THE PUNJAB LAND AND PRESERVATION ACT 1900 (Amendment)	19
4	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	201
5	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	270
6	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	303
7	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	316(2)
8	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	318(2)
9	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	329(3)
10	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	61

3. **(a)** **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 01/06/2025 **Time (समय):** 14:40 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 004 **Date and Time (दिनांक और समय):** 01/06/2025 14:54 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 55 Km **Beat No. (बीट सं.):** (s)

(b) Address (पता): जिला नुहँ,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): Ashok Kumar

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 01/01/1978 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**part 1 sec-15, GURGAON CITY, GURUGRAM, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**part 1 sec-15, GURGAON CITY, GURUGRAM, HARYANA, INDIA**

(j) Phone number (दूरभाष सं.): **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9911866177

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	हनीफ			1. सरपंच ग्राम पंचायत बसई मेव,तहसील फिरोजपुर झिरका जिला नूंह,FEROZEPUR JHIRKA,NUH,HARYANA,INDIA
2	सरकारी अधिकारी कर्मचारी			1. वन विभाग जिला नूंह,NUH,HARYANA,INDIA
3	सरकारी अधिकारी कर्मचारी			1. खनन विभाग जिला नूंह,NUH,HARYANA,INDIA
4	सरकारी अधिकारी कर्मचारी			1. राजस्व विभाग जिला नूंह,NUH,HARYANA,INDIA
5	सरकारी अधिकारी कर्मचारी			1. Consolidation Department नुहँ,NUH,HARYANA,INDIA
6	खनन माफियाओं			1. जिला नुहँ,NUH,HARYANA,INDIA
7	अन्य विभाग के कर्मचारी अधीकारी			1. जिला नूंह,NUH,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में, प्रबन्धक थाना, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, गुरूग्राम मण्डल गुरुग्राम। विषयः- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे तहरीर। श्रीमान जी, निवेदन यह है कि माननीय सर्वोच्य न्यायालय दिल्ली में I.A. Nos. 269550, 269552 269553 of 2025 in W.P. (C) No. 202 of 1995 titled as T.N. Godavarman Thirumulpad V/s Union of India and Ors. के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुये दिनांक 19.03.2025 को Central Empowered Committee, New Delhi (constituted by the Hon'ble Supreme Court of India) को मामले की जांच करने और चार सप्ताह के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। CEC द्वारा दिनांक 15.04.2025 को अपनी रिपोर्ट सर्वोच्य न्यायालय के समक्ष पेश

की, जिसमें CEC द्वारा जांच रिपोर्ट के पैरा संख्या 17 में कुल 10 recommendation की गई है, और जांच रिपोर्ट के पैरा संख्या 17 (IV) की recommendation के अनुसार राज्य सतर्कता विभाग हरियाणा द्वारा सरपंच, सरकारी अधिकारियों और खनन माफिया के बीच मिलीभगत करके जिला नूंह के गांव बसई मेव की सीमा में वन विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से सडक के निमार्ण करने बारे आरोपो की जांच करने वा 90 दिन के अन्दर सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सिफारिश की गई है। Central Empowered Committee द्वारा माननीय सर्वोच्य न्यायालय में दिनांक 15.04.2025 को प्रस्तुत की गई जो CEC की जांच रिपोर्ट मूल परिवाद के साथ संलग्न है। CEC की जांच रिपोर्ट का मुख्यतः विवरण निम्न प्रकार से है "It has been observed that an illegal road has been constructed in village Basai Meo of Distt. Nuh connecting Firozpur Jhirka to the adjoining hilly regions of the State of Rajasthan without the requisite approvals from the government authorities. The involvement of the local Sarpanch, Mr. Hanif alias Hannah, along with certain government officials and the mining mafia, has resulted in violations of various laws, including the relevant MoEFCC Notifications and the provisions of the Punjab Land Preservation Act (PLPA), 1900, by constructing the illegal road without consulting or seeking approval from the Forest Department. It has also been observed that the newly constructed road connects three villages bordering Rajasthan-Chhapra, Dhaulet, and Naget-with Village Basai (Firozpur Jhirka, Haryana). This road cuts through both forest land and cultivable agricultural land. The construction appears to have been initiated by the Sarpanch in collusion with certain government officials, allegedly driven by personal financial interests. Given the proximity to mining areas near the Rajasthan border, this road is being misused to facilitate illegal mining activities and the transportation of illegally mined minerals, enabling the accumulation of wealth for personal gain. This road not only breaches established laws but also infringes upon the rights of local farmers. Their cultivable agricultural land has been unlawfully grabbed without any prior consultation or compensation. The illegally constructed road is in blatant violation of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Notification dated 07.05.1992 and the Punjab Land Preservation Act (PLPA), 1900. It was also constructed without obtaining the requisite clearance from the Forest Department. To facilitate the transport of illegally mined material, the aforesaid unauthorized road was constructed by damaging Forest Department plantations located in Village Basai Meo, as well as through areas notified under the Punjab Land Preservation Aet (PLPA), 1900. The road in question was built without any prior approval from the Forest Department and in violation of the Forest (Conservation) Act, 1980 उक्त रिपोर्ट में Central Empowered Committee द्वारा पैरा नम्बर 17 (iv) में सिफारिश की गई कि "The State Vigilance Department shall investigate allegations of collusion between the Sarpanch, government officials, and the mining mafia and submit a report to the Government within 90 days, under intimation to the CEC and the MOEFCC", जिस पर श्रीमान मुख्य सचिव हरियाणा सरकार कार्यालय के आदेश क्रमांक CFMS No. DA/CS/SPL 57 Dated 16-05-2025 व श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, हरियाणा पंचकुला के पृष्ठ कमांक 9873/आई-2/भ्र०नि०ब्यू० (ह) दिनांक 28.05.2025 के अनुसार सरपंच ग्राम पंचायत बसई मेव, तहसील फिरोजपुर झिरका जिला नूंह, वन विभाग, खनन विभाग, राजस्व विभाग Consolidation Department के सरकारी अधिकारी / कर्मचारी व खनन माफियाओं के विरूध अभियोग अंकित करने के लिये ड्राफ्ट तहरीर तैयार करके अनुमोदन हेतु भेजने के आदेश प्राप्त हुये है। इसके अतिरिक्त सरकारी अधिकारी / कर्मचारियों के विरूध अभियोग दर्ज करने के लिए मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के मिमो नम्बर 42/11/2025-4 VIII दिनांक 31.05.2025 के अनुसार अनुमति प्राप्त की गई है। हनीफ उर्फ हन्नाह, सरपंच ग्राम पंचायत बसई मेव, तहसील फिरोजपुर झिरका जिला नूंह ने वन विभाग, खनन विभाग, राजस्व विभाग Consolidation Department के सरकारी अधिकारी/कर्मचारी व खनन माफियाओं के साथ मिलीभगत करके जिला नूंह के गांव बसई मेव की सीमा में वन विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से सडक के निमार्ण करने बारे अपराध के आरोप है। अतः हनीफ उर्फ हन्नाह, सरपंच ग्राम पंचायत बसई मेव, तहसील फिरोजपुर झिरका जिला नूंह, वन विभाग, खनन विभाग, राजस्व विभाग Consolidation Department के सरकारी अधिकारी / कर्मचारी व खनन माफियाओं तथा अन्य किसी विभाग के कर्मचारी/अधिकारी की कोई संलिप्ता पाई जाती है, के विरूध Section 201, 318(2), 316(2), 61, 270, 329 (3), 303 of BNS, 2023 (r/w Section 420, 409, 1208, 268, 447, 379 IPC), Section 21 of The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, Section 15(1) of Environment (Protection) Act, 1986 and Section 19 of Punjab Land Preservation Act (PLPA), 1900 के अर्न्तगत अभियोग दर्ज करने के लिए मुख्यालय से अनुमति प्राप्त करने के लिए ड्राफट तहरीर अनुमोदन हेतू भेजी गई थी जो मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकूला के पत्र क्रमांक 9980/I-2/ACB(H)दिनांक 01.06.2025 के अनुसार ड्राफट तहरीर अनुमोदित होने उपरान्त प्राप्त हुई है। अतः हनीफ उर्फ हन्नाह, सरपंच ग्राम पंचायत बसई मेव, तहसील फिरोजपुर झिरका जिला नूंह, वन विभाग, खनन विभाग, राजस्व विभाग Consolidation Department के सरकारी अधिकारी/कर्मचारी व खनन माफियाओं तथा अन्य किसी विभाग के कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध उक्त धाराओ के अनुसार अभियोग अंकित करने के लिए तहरीर बदस्त ई०एच०सी० दिनेश कुमार न0 1144/ रेवाडी के हाथो थाना भेजी जा रही है। अभियोग दर्ज करके अभियोग संख्या से सूचित किया जावे। अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार स्पेशल वाहक के माध्यम से ईलाका मजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियों को

भिजवाई जावे। अभियोग की मिशल मय असल तहरीर आगामी अनुसंधान हेतु श्री गौरव फोगाट, उप पुलिस अधीक्षक, गुरुग्राम के पास भिजवाई जावे। sd Ashok kumar (अशोक कुमार, ह०पु०से०) उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, गुरुग्राम मैण्डल गुरुग्राम। दिनांक – 01.06.2025 AT – 2.30 PM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो नियमानुसार अफसरान बाला व ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को नियमानुसार भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट ई-मेल द्वारा इलाका मजिस्ट्रेट साहब नुहँ भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की मिशल मय असल तहरीर आने वाले ई०एच०सी० दिनेश कुमार न0 1144/ रेवाडी के हाथ आगामी अनुसंधान हेतु DSP अशोक कुमार के पास भेजी जा रही है ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** GAURAV FOGAT **Rank (पद):** Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): HPS **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Jaipal

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 94

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	**Sex (लिंग)**	**Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)**	**Build (बनावट)**	**Height (cms) (कद (से.मी.))**	**Complexion (रंग)**	**Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Male	01/01/1970				**Is pox pitted:** Yes
2	Unknown	01/01/1984				**Is pox pitted:** Yes
3	Unknown	01/01/1983				**Is pox pitted:** Yes
4	Unknown	01/01/1984				**Is pox pitted:** Yes
5	Unknown	01/01/1984				**Is pox pitted:** Yes
6	Unknown	01/01/1981				**Is pox pitted:** Yes
7	Unknown	01/01/1982				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	**Teeth (दाँत)**	**Hair (बाल)**	**Eye (आँखें)**	**Habit(s) (आदतें)**	**Dress Habit (s) (पहनावा)**
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	**Place of (का स्थान)**					**Others (अन्य)**
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	**Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))**	**Mole (मस्सा)**	**Scar (घाव)**	**Tattoo (गूदे हुए का)**	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)